न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19/2020 (उदयपुर आर्डर)

1. भंवरलाल पिता स्वर्गीय देवाजी माली, निवासी पलानाकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहनलाल पिता स्वर्गीय देवाजी माली, निवासी पलानाकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. लहरीलाल पिता मगनलालजी माली, निवासी पलानाकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता स्वर्गीय रामचन्द्रजी माली, निवासी भानि मंदिर के पीछे, बापुनगर सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. नन्दकि ोर पिता स्वर्गीय रामचन्द्रजी माली, निवासी भानि मंदिर के पीछे, बापुनगर सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. उप पंजियन अधिकारी, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पटवारी हल्का पलानाकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
02.11.2020 प्रकरण संख्या 47/2020

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रमोद कुमार दाणी अभिभाशक रे.सं. 1, 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 11–10–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:32 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पलानाकलां में परिशिश्ट ''अ'' की आराजी नंबर 1524 से 1528, 1697, 1707, 1741 कुल किता 8 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थिति है, जिसमें प्रार्थी के पिता रामचन्द्र का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं विपक्षी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार परिशिश्ट ''ब'' की आराजी नंबर 2113, 2169, 2243 कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के पिता रामचन्द्र का 19/324 हिस्सा दर्ज है जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार परिशिश्ट ''स'' की आराजी नंबर 2257 से 2260, 2271, 3379/1713 कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के पिता रामचन्द्र का 95/508 हिस्सा दर्ज है, विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजियात हमारे दादा रामचन्द्र के नाम दर्ज थी, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर प्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पर लगभग 50 वर्श पूर्व आपसी बंटवारा कर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षीगण ने मौके पर बिना विधिवत बंटवारा कराये हमारे कब्जे की भूमि का विक्रय अजनवी क्रेता को करने की धमकी देते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित आराजियात का विधिवत विभाजन होकर उन्हें अपने हक हिस्से की भूमि का आधिपत्य प्राप्त हुआ है एवं उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–11–2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर उभयपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दाणी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:32 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि विवादित सम्पूर्ण भूमि का मौके पर विभाजन होकर अपीलान्टगण अपने हक हिस्से अनुसार स्वतंत्र रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा पारिवारिक एवं सामाजिक आव यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का हस्तान्तरण करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए उभयपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–11–2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:32 IST
Reason: SelfAttested